

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)

9

राजस्व प्रार्थना पत्र :- 56/2019

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रावतराम पुत्र श्री
चेलारामजी, जाति जाट,
निवासी बर्वा की ढाणी
भाण्डू कलां तहसील
लूणी, जिला जोधपुर

1. मंगलाराम पुत्र श्री खींयाराम
2. ढलाराम उर्फ ढगलाराम पुत्र श्री खींयाराम
3. पूनाराम पुत्र श्री खींयाराम
4. शेराराम पुत्र श्री खींयाराम
5. झमू पत्नि श्री खींयाराम जाति जाट, निवासीगण ग्राम
भाण्डू कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
6. कमलीदेवी पुत्री स्व. खींयाराम, पत्नि श्री जेफाराम
चौधरी जाति जाट, निवासी ग्राम बासनी झूठा, तहसील
लूणी, जिला जोधपुर।
7. लुणी पुत्री स्व. खींयाराम, पत्नि श्री सुरजाराम जाति
जाट निवासी जाटों का बास, ग्राम बोरानाड़ा तहसील
लूणी जिला जोधपुर।
8. जवानराम पुत्र जोधाराम
9. भींयाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट, निवासी बेरा की
ढाणी, भाण्डू कल्ला तहसील लूणी, जोधपुर।
10. साउदेवी उर्फ शायरीदेवी पुत्री स्व. जोधाराम पत्नि श्री
ढलाराम जाति जाट, निवासी थोरियों की ढाणी पाल
बालाजी जोधपुर।
11. जेठी देवी पुत्री स्व. जोधाराम पत्नि चुतराराम जाति
जाट निवासी थोरियों की ढाणी पाल बालाजी, जोधपुर।
12. पचकी देवी पुत्री स्व. श्री जोधाराम पत्नि श्री ओमाराम
जाति जाट निवासी जाटों का बास, बोरानाड़ा तहसील
लूणी जिला जोधपुर।
13. मोडाराम पुत्र श्री चेलाराम
14. भलाराम पुत्र श्री चेलाराम जाति जाट, निवासी बर्वा की
ढाणी, भाण्डू कलां तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

प्रार्थी की ओर से :- अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा

दिनांक :- 16-11-2019

--: निर्णय ::--

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि ग्राम भाण्डू कलां, तहसील लूणी के
खसरा नम्बर 274 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 277 रकबा 11 बीघा, खसरा
संख्या 280 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 293 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा
संख्या 298 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा, कुल खसरे पांच, कुल रकबा 64 बीघा 17 बिस्वा भूमि
स्थित हैं जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की
संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सामलाती रूप से ही काश्त करते आये

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

